न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 54 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 महेन्द्र पुत्र नारूराम।
2 मदन पुत्र नारूराम।
3 ताराचन्द पुत्र नारूराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण हमीरवास नुंआ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बखिलाफ आदेश जिला कलेक्टर झुंझुनू
दिनांक 28.09.2016 मुकदमा उनवानी महेन्द्र आदि
बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 410 / 2016 बखिलाफ
निर्णय नायब तहसीलदार मण्डावा निर्णय व आदेश
दिनांक 10.06.2016 मु. नं. 15 / 2014

उपस्थित

1. श्री विनोद कुमार गिल अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 7-3-19

यह द्वितीय अपील विद्वान जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 410/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मण्डावा ने अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 23,29 में 0.15 हैक्टेयर , 0.02 हैक्टेयर पर अतिक्रमण कि रिपोर्ट करने पर धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया, बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 10.06.2016 से सास्ती एवं बेदखली के आदेश पारित किये गये। इसके विरूद्व अपीलांट की ओर से जिला कलक्टर झुंझुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन निर्णय दिनांक 28.09.2016 से खारिज हुई है इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट का पूर्वजों के समय से 1947 से इस पर कब्जा है धारा 91 में संयुक्त नोटिस नही दिये जा सकते है 23.11.1990 को आर.ए.ए. के निर्णय से नियमन के आदेश हुये है। दोनों न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्व है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1986 पेज 544 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह किस्म गैर मुमकिन चारागाह राजकीय भूमि है। अदालत मातहत का निर्णय विधि सम्मत है रिपोर्ट

Lamo

पटवारी हल्का नुआं के अनुसार गैरसायल ने हमीरवास स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 23,29 रकबा 0.15,10.00 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह में से 0.15,0.02 कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि में मकान चरी व बाड़ा बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अत अदालत मातहत के निर्णय में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है अत अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नही है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 20.10.2014 को नायब तहसीलदार मण्डावा ने संयुक्त रूप से महेन्द्र, मदन, ताराचन्द पुत्र नारूराम जाति मेघवाल निवासी हमीरवास के विरूद्व दिनांक 20.10. 2014 को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1986 पेज 544 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Land Revenne Act, Sec. 91(3A)- Notice- Principles of natural justice – Juint notice issued by Teh. Against 4 trespassers, held bad in law even though served personally on 2 of them – Sec. 91(3A) incorporate rule of anil alterain parten in so nany words – Unbeaithy pracrice practice in subordinate R.Cs. of issning joint notice in name of seteral defts., bad in law and unwarranted, ah held in 1973 R.R.D.456- Order of R.A.A., set aside and case, remanded to Teh. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा अपीलांट के विरूद्व संयुक्त रूप से धारा 91 का नोटिस जारी कर की गई कार्यवाही विधि सम्मत नही है। प्रथम अपील न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट के विरूद्व प्रथक –प्रथक नोटिस जारी कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 7-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियां)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर